

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) मध्यप्रदेशभोपाल

क्रमांक/निस्तार/699

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2003

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय एवं उत्पादन)

मध्यप्रदेश

विषय :- कूपों से जलाऊ चट्टों का निस्तारी प्रदाय ।

—0—

निस्तार नीति वर्ष 1994 जो 1-7-96 से लागू हुई उसके अनुसार जलाऊ लकड़ी के चट्टों का 5 कि.मी. के अन्दर रहने वाले ग्रामीणों को निस्तार हेतु प्रदाय करने का प्रावधान किया गया है। वन समिति के सदस्यों को रायल्टी मुक्त निस्तार मिलेगा। जहाँ वन समिति नहीं है वहाँ ग्रामीणों से 25/- प्रति चट्टा रायल्टी ली जायेगी। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 575 दिनांक 5-2-99 के अनुसार चट्टों के निर्माण का खर्च, चौकीदारी एवं अग्नि सुरक्षा का अनुपातिक व्यय इसमें जोड़ा जायेगा। आशा है इन निर्देशों के अनुरूप आपके वृत्त में कार्यवाही की जा रही होगी।

वर्तमान में विभिन्न वृत्तों की जो निस्तार पुस्तिकायें प्राप्त हुई है उसमें कूपों से निस्तार प्रदाय के लिये चट्टों का जो दर निर्धारित किया गया है वह काफी अधिक प्रतीत होती है। कृपया आप अपने गणना का एक बार पुनः परीक्षण कर लें और दर यदि अधिक निर्धारित हो तो उसे संशोधित कर लें।

गत दो वर्षों के आंकड़े देखने में यह पाया जाता है कि उत्पादन की तुलना में बहुत कम चट्टे निस्तारियों को दिया जा रहा है :-

वर्ष	उत्पादित जलाऊ चट्टे	निस्तार में दिये गये जलाऊ चट्टों की संख्या
2000-01	322091	47,000
2001-02	347204	54,383

प्रदेश में जब जलाऊ चट्टों की इतनी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में है, उसके बावजूद निस्तारी उपयोग के लिये नाम मात्र मूल्य पर ग्रामीण जलाऊ चट्टे नहीं लेना चाहते हैं, यह मानना कठिन है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि इस वर्ष के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी :-

- (1) निस्तार चट्टों की दर निर्धारण का पुनः परीक्षण करके सही दर का निर्धारण करेंगे।
- (2) इस वर्ष कूपों में जितने जलाऊ चट्टे उत्पादित हो रहे हैं उसकी कूप वार अनुमानित चट्टों की संख्या एक पर्ची में छपवाकर वन मंडल के समस्त जन प्रतिनिधियों, पंचायत, वन कर्मचारी, वनों के समीपस्थ ग्रामों में वितरित कर दी जाये।
- (3) समस्त वन समितियों को एवं पंचायतों की बैठक आयोजित करके निर्णय कर लिया जाये कि उन्हें उत्पादित होने वाले जलाऊ चट्टों में से कितने चट्टे चाहिये अथवा बिल्कुल नहीं चाहिये।

(4) लोगों के द्वारा चाहे अनुसार चट्टों को कूपों में आरक्षित कर लिया जाए शेष को न्यूक्लियस डिपो ढुलवाये जायें।

(5) कूपों से इमारती लकड़ी का परिवहन पूर्ण हो जाने के बाद वन मंडल अधिकारी द्वारा पूर्व से घोषित सीमित अवधि के दौरान समस्त चट्टों की निकासी कर ली जाये।

इस प्रकार की व्यवस्था करने में वनों से उत्पादित चट्टों का अधिकांश भाग समीपस्थ ग्रामीणों को मिल जायेगा और इससे वनों पर दबाव कम होगा और सिरबोझ से वनों की नुकसानी भी बचेगी।

इस वर्ष उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उक्त अनुसार।

हस्ता.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

म०प्र० भोपाल

पृ.क्र./निस्तार/700

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2003

प्रतिलिपि :-

- 1/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, म०प्र०, भोपाल को सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया अपने प्रभार के वृत्त में एवं अन्य वृत्तों में प्रवास के दौरान इन निर्देशों के पालन के संबंध में जानकारी लेने का कष्ट करें।
 - 2/ मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना जबलपुर एवं भोपाल
 - 3/ वन संरक्षक कार्य आयोजना इन्दौर
 - 4/ प्राचार्य, रेन्जर कालेज बालाघाट
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

म०प्र० भोपाल